तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/996/2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम देवीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

—

आदेश

दिनांकः— 07.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 30.12.2004 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, बस्सी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि मुताबिक खतौनी बंदोबस्त् संवत् 2015–34 ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर स्थित आराजी खसरा संख्या 969 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 970 रकबा 2 बिस्वा, 974 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीतारामजी पुजारी देवीलाल, चांदमल, सूरजनारायण, गणेशनारायण पिता गंगाबक्स कौम ब्राह्मण सा0 देह हिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था। बाद में उक्त आराजी माफी रिज्यूम्ड खालसा का अंकन नामांतकरण संख्या 233 पर अंकित करते हुए माफी मंदिर की बजाय पुजारी देवीलाल, चांदमल, सूरजनारायण व गणेशनारायण पिता गंगाबक्स कौम ब्राह्मण के नाम खोल दिया गया। यह कार्यवाही नियम विरूद्ध बिना किसी आदेश के हुई है। बाद में पुजारी देवीलाल वगैरह द्वारा उक्त आराजीयात में से खसरा संख्या 974 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जरिए रजिस्ट्री दिनांक 19.10.1964 से चांददेवी धर्मपत्नी सूरजनारायण, शांति बाई धर्मपत्नी रामकिशोर, लालीदेवी धर्मपत्नी कुंजबिहारी लाल व नवलकिशोर नाबालिग पुत्र सूरजनारायण बविलायत चांददेवी माता खुद कौम महाजन खण्डेलवाल निवासी जयपुर चोकडी तोपखाना देश रास्ता झालानियान को कर दी, जिसका नामांतकरण संख्या 234 दिनांक 26.10.64 को क्रेता के हक में तस्दीक हुआ है। खसरा संख्या 969 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 970 रकबा 2 बिस्वा की खातेदारी देवीलाल, सूरजनारायण, चांदमल, गणेशनारायण

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/996/2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम देवीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	पिसरान गंगाबक्स कौम ब्राह्मण साकिन देह की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध है। चूंकि ऐसी आराजी शाश्वत नाबालिग होती है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी माफी मंदिर श्री सीतारामजी के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अति0 जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर ने अपने निर्णय दिनांक 30.12.2004 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है । विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई । विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि विवादित भूमि माफी मंदिर श्री सीतारामजी की खातेदारी की थी, जिसकी पुष्टि खतौनी बंदोबस्त् जमाबंदी संवत् 2015–34 के अवलोकन से होती हे। यह भूमि खुदकाश्त माफी मंदिर सीतारामजी दर्ज थी, जिसे बाद में बिना किसी आधार व आदेश के नियम विपरीत माफी मंदिर का नाम विलोपित करते हुए नामांतकरण संख्या 233 माफी रिज्यूम्ड का अंकन नामांतकरण पर अंकित कर पुजारी देवीलाल, चांदमल, सूरजनारायण व गणेशनारायण के हक में दर्ज कर दी गई और बाद में पुजारीगण द्वारा उक्त आराजी में से खसरा संख्या 974 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा का अवैध बेचान कर दिया गया, जिसका नामांतकरण संख्या 234 क्रेतागण के पक्ष में स्वीकार हुआ है। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। चूंकि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है। नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विपक्षीगण के खाते में नियमों के विरूद्ध मंदिर की भूमि को दर्ज किया गया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः माफी मंदिर श्री सीतारामजी के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अतिरिक्त जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया।	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/996/2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम देवीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम झोटवाडा तहसील तहसील जयपुर की खतौनी बंदोबस्त् संवत् 2015–34 के अवलोकन से स्पष्ट है कि खसरा संख्या 969 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 970 रकबा 2 बिस्वा, 974 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा माफी मंदिर श्री सीतारामजी पुजारी देवीलाल, चांदमल, सूरजनारायण, गणेशनारायण पिता गंगाबक्स कौम ब्राह्मण सा0 देह हिस्सा बराबर खातेदारी दर्ज थी तथा कृषक के कॉलम में खुदकाश्त दर्ज था। बाद में उक्त आराजी माफी रिज्यूम्ड खालसा का अंकन नामांतकरण संख्या 233 पर अंकित करते हुए माफी मंदिर की बजाय पुजारी देवीलाल, चांदमल, सूरजनारायण व गणेशनारायण पिता गंगाबक्स कौम ब्राह्मण के नाम इंद्राज कर दिया गया। यह कार्यवाही नियम विरूद्ध बिना किसी आदेश के हुई है। बाद में उक्त आराजीयात में से खसरा संख्या 974 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा जरिए रजिस्ट्री दिनांक 19.10.1964 से चांददेवी धर्मपत्नी सूरजनारायण, शांति बाई धर्मपत्नी रामकिशोर, लालीदेवी धर्मपत्नी कुंजबिहारी लाल व नवलकिशोर नाबालिग पुत्र सूरजनारायण बविलायत चांददेवी माता खुद कौम महाजन खण्डेलवाल निवासी जयपुर चोकडी तोपखाना देश रास्ता झालानियान को कर दी, जिसका नामांतकरण संख्या 234 दिनांक 26.10.64 को क्रेता के हक में तस्दीक हुआ है। खसरा संख्या 969 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 970 रकबा 2 बिस्वा की खातेदारी देवीलाल, सूरजनारायण, चांदमल, गणेशनारायण पिसरान गंगाबक्स कौम ब्राह्मण साकिन देह की खातेदारी में दर्ज है, जो अवैध है। चूंकि पूर्व रिकार्ड अनुसार उक्त आराजी माफी मंदिर श्री सीतारामजी की खातेदारी में दर्ज थी तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो कि अवैध है। ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः माफी मंदिर श्री सीतारामजी की खातेदारी में दर्ज किया जाना	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/996/2005/जयपुर** **राजस्थान सरकार बनाम देवीलाल व अन्य**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, प्रथम जयपुर द्वारा अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 30.12.2004 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम झोटवाडा तहसील जयपुर में स्थित आराजी खसरा संख्या 969 रकबा 2 बीघा 14 बिस्वा, 970 रकबा 2 बिस्वा, 974 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल रकबा 6 बीघा 6 बिस्वा पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी एवं इसके पश्चात् स्वीकृत समस्त नामांतकरणों एवं राजस्व रिकार्ड में हुए इन्द्राजों को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पुनः माफी मंदिर श्री सीतारामजी की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	